Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

पुनम बनाम कप्तान वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र – 212 जा0दी0 संख्या 385 वर्ष 2022
23.08.2022	आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 22–09–2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 0.67 हैक्ट. वाके ग्राम बनबीरपुर तहसील टपुकडा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगणों का पाबंद किया जाता है। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) 22/09/22 आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी [illegible] उपस्थित पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक 15/11/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, तिजारा 15/11/22 आज पत्रावली पेश की प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता [illegible] प्रा0 पत्र के पक्षकार उपस्थित [illegible] प्राप्ति हो गया है अतः प्रा0 पत्र [illegible] बाद [illegible] तामील सलंग्न उपस्थित हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0